

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(विश्वविद्यालय मानी गई संस्था)

(विश्वविद्यालय अनुदानआयोगअधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गतभारतसरकार, मानवसंसाधनविकासमंत्रालय द्वाराअधिसूचनाक्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित) अमृत महोत्सव

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

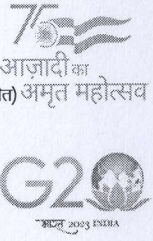
(Deemed to be University)

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No. F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

DEPARTMENT OF SPORTS MANAGEMENT & COACHING

(खेल प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण विभाग)

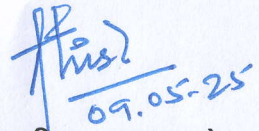


क्र.: खेलप्र.एवंप्रशि.विभाग/75/2024-25/237

दिनांक: 09/05/2025

सूचना

विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम एम.पी.एड. (द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर), एम. ए. इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, पी.जी.डी.एस.सी., पी.जी.डी.एस.एस.सी., डी.एस.सी के विद्यार्थियों के लिए 02 दिवसीय (13 - 14 मई, 2025) “नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास पर कार्यशाला” आयोजित की जानी थी परन्तु विभिन्न कारणों से उपरोक्त कार्यशाला को स्थगित किया जा रहा है। कार्यशाला हेतु नवीन तिथि आने वाले समय में विभाग द्वारा प्रेषित की जावेगी।


(डॉ. आशीष फुलकर)
विभागाध्यक्ष

खेल प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण विभाग

प्रतिलिपि:-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- अधिष्ठाता शैक्षणिक
- समस्त विभागाध्यक्ष
- डॉरेक्टर आई.क्यू.ए.सी.
- समस्त संबंधित संकाय सदस्य
- समस्त संबंधित छात्र
- सूचना पटल
- पंजी